16 अप्रैल 2018 को माननीय लोक सभा अध्यक्ष एवं सीपीए भारत क्षेत्र के चार जोनों के राज्य विधानमंडलों के चुने हुए अध्यक्षों की बैठक में माननीया लोक सभा अध्यक्ष जी के प्रांरभिक वार्ता बिन्दु (Talking Points).

जैसा कि आप सभी को विदित है कि 16 से 19 फरवरी 2018 तक पटना में हुए सीपीए इंडिया रीजन (CPA India Region) का छठा सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई थी। चर्चा के क्रम में यह निर्णय लिया गया था कि सीपीए इंडिया रीजन (CPA India Region) के चारों जोनों में जोनल लेवल पर कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का इस प्रकार आयोजन किया जाए ताकि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में और उद्देश्य केन्द्रित कार्य हो सके। राज्यों को जोन–वार आवंटन (allocation) की सूचना की प्रति circulate कर दी गई है। इस संबंध में ground work करने की जिम्मेदारी उन जोनों के 11 सभापतियों को दे दी गई थी। यह भी निर्णय लिया गया था कि मामले को अंतिम रूप देने के लिए हम लोग बाद में पुनः मिलेंगे।

2. यह बैठक इसलिए बुलाई है ताकि प्रत्येक जोन में भविष्य में प्रस्तावित कार्यक्रमों/कार्यकलापों की रूपरेखा (Roadmap) तैयार कर लिया जाए।

3. आप सभी अवगत हैं कि मैंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं विधान मंडलों के पीठासीन अधिकारियों से यह अनुरोध किया था कि राज्य विधान मंडलों में सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) से संबंधित मुद्दों पर नियमित रूप से हर सत्र में चर्चाएं हों। मुझे यह भी बताया गया है कि कुछ विधान मंडलों ने इस पर कार्य करना प्रारंभ भी कर दिया है। विभिन्न चर्चाओं के केन्द्र में इन महत्वपूर्ण विषयों को स्थान देने के उद्देश्य से मेरा यह मानना है कि जोनल स्तर पर Seminar/Symposia/Conferences इत्यादि का आयोजन किया जाना चाहिए। मेरे विचार से "**विकास के एजेंडा में जनप्रतिनिधियों की भूमिका** (Role of Legislators in furthering Development Agenda)" को हम संभावित topic के रूप में चुन सकते हैं।

4. 10 और 11 मार्च 2018 को संसद भवन में आयोजित National Legislators Conference के दौरान ''विकास की प्रक्रिया में विधायकों की भूमिका (Role of legislators in development process)'' और ''विकास में संसाधनों का इष्टतम उपयोग (Optimum utilization of resources in development)'' पर गहन चर्चा हुई थी। इस कांफ्रेंस का फोकस नीति आयोग द्वारा चिन्हित Aspirational Districts पर था। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य शाखाएं "Legislative oversight of development delivery system" की थीम पर एक वर्कशॉप का आयोजन कर सकती है जिसमें विधायकों को अलग–अलग विकास संबंधी स्कीमों की निगरानी कैसे की जाए, इसके बारे में अवगत कराया जा सकता है।

5. विभिन्न जोनों में से यहां आमंत्रित 11 राज्य शाखाओं को इस बैठक में आमंत्रित किया गया है ताकि वे क्रमशः अपने–अपने जोनों में Lead Branches के रूप में कार्य करें। इन शाखाओं को जोनल इवेंट/कार्यकलापों के आयोजन के लिए प्रारंभिक कार्य एवं जोनल स्तर के कार्यक्रमों के लिए आयोजन की जिम्मेदारी दी जाएगी। सीपीए इंडिया रीजन सचिवालय यानी लोक सभा सचिवालय के सीपीए सेल को शीर्ष स्तर पर समन्वयन की जिम्मेदारी दी जाएगी। यदि आवश्यक हो, तो यह उन आयोजनों/कार्यकलापों के आयोजन में अपनी ओर से सहायता भी करेगी। यदि आवश्यक हो, तो इन कार्यकलापों/events के आयोजन हेतु resource persons की व्यवस्था करने एवं inputs उपलब्ध कराने के लिए अध्यक्षीय शोध कदम (Speakers' Research Initiative) की सेवाएं इस प्रकार ली जा सकती हैं ताकि कार्यक्रम एवं कार्यकलापों की गुणवत्ता में value additions हो सके।

6. जहां तक इन प्रस्तावित कार्यकलापों/आयोजनों की funding (निधियन) का प्रश्न है, प्रतिभागियों के आने–जाने के खर्च का वहन वह विधान सभाएं व्यय करेंगी जिन्होंने उन्हें उस आयोजन में भाग लेने के लिए भेजा है, आवास के साथ–साथ भोजन, परिवहन एवं कार्यकलापों/सम्मेलनों से संबंधित व्यय उस आयोजन के स्तर एवं सीपीए इंडिया

रीजन सचिवालय एवं जोन की शाखाओं द्वारा दिए गए contribution (अंशदान) के द्वारा किया जाएगा।

9. आप अवगत होंगे कि CPA India Region की कार्यकारी समिति ने वर्ष 2018–19 के लिए बजटीय अनुमान (Budget Estimates) approve कर दिया है और हमारे पास इन आयोजनों के लिए लगभग 80 लाख रुपये की राशि उपलब्ध है।

10. अब, मैं आप सभी से इस विषय पर अपने सुझावों एवं विचारों से अवगत कराने की अपेक्षा करती हूं और विचारार्थ मामलों पर अपने सुझाव देने के लिए आमंत्रित करती हूं।

धन्यवाद।

——————

Annexe-I

Suggestions for likely topics

1. हम निम्नलिखित विस्तृत थीमों पर भी जोनल कांफ्रेंस, सिम्पोजिया, सेमिनार, Workshops और Interactive Sessions का विचार कर सकते हैंः–

(एक) Aspirational Districts Programme सहित विकास का एजेंडा

(दो) इकलौते टॉपिक के रूप में विभिन्न Sustainable Development Goals

(तीन) विधायी कार्य एवं प्रक्रियाओं के समक्ष चुनौतियां (Challenges in Legislative practices and procedures)

(चार) शिक्षा

(पांच) स्वास्थ्य

(छह) लैंगिक समानता (Gender Equality)

(सात) शासन, इत्यादि (Governance)

(आठ) बजटीय संवीक्षा सहित विधायी निरीक्षण (Legislative oversight including budgetary scrutiny)

(नौ) समिति प्रणाली (Committee System) और

(दस) उपर्युक्त मुद्दों पर विभिन्न विशेषज्ञों, प्रतिष्ठित संस्थानों, सिविल सोसायटी, स्वैच्छिक संस्थानों, युवाओं, कॉलेज छात्रों एवं विभिन्न multilateral एजेंसियों तथा उपर्युक्त क्षेत्रों में कार्य कर रहे व्यक्तियों से भी विचार विमर्श किया जाना उपयुक्त होगा ताकि उन विषयों पर संपूर्ण दृष्टिकोण (holistic view) से विधायकों को अवगत कराया जा सके।

2. जोनल आधार पर विधान सभाओं के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं ताकि विभिन्न विधान सभाओं में विकास कार्यों का ब्योरा एक दूसरे से साझा किया जा सके।